

325

प्रातिदिन

28-2-06

राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप-6)विभाग

जयपुर, दिनांक: 21-2-06

प.क्र.-6(9)राज-6/01पाट
समाप्त जिला कलेक्टर, अजमेर

विषय:-राजकीय भूमि को स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण किये जाने पर पूंजीगत
मूल्य वसूल कर राज्य कोष में जमा कराने बाबत।

प्रत्येक सप्ताह के राजस्व(ग्रुप-6)विभाग के द्वारा अधिसूचना दिनांक 06.1.2006 जारी
की गयी है, जिसके अनुसार जे0डी0ए, यू.आई.टी. एवं 'डो' ग्रेड' म्यूनिसिपलटी से राजकीय भूमि
का 'डो'एल0सी रेट का 40 प्रतिशत, 'बी' ग्रेड म्यूनिसिपलटी से 30 प्रतिशत, 'सी' ग्रेड
म्यूनिसिपलटी से 20 प्रतिशत, 'डी' ग्रेड म्यूनिसिपलटी से 'डो'एल0सी रेट का 10 प्रतिशत वसूल
करने से पश्चात् दो स्थानीय निकायों को हस्तान्तरण करने के आदेश है।

इस अधिसूचना को दि0 01.4.2005 से लागू करने के लिये संशोधित अधिसूचना भी
जारी कर दी गयी है।

अतः दिनांक 01.4.2005 के पश्चात् जो भी राजकीय राजस्व भूमि स्थानीय निकायों को
हस्तान्तरित की गयी है, उन सभी स्थानीय निकायों से अधिसूचना दि0 06.01.2006 में वर्णित
मापदण्डों के अनुसार 'डो'एल0सी रेट का निश्चित अंतरात वसूल कर राज्यकोष में जमा कराने
को कार्यवाही करायी यदि किसी स्थानीय निकाय ने दिनांक 1.4.2005 के बाद दो गई राजस्व
भूमियों के बारे में लगान का 40 गुना पूर्व में जमा करा दिया था तो ऐसी स्थिति में
अधिसूचना दि0 6.1.06 के अनुसार देय राशि में से उसको कम कर बकाया राशि उसे
वसूल कर राज्यकोष में जमा करावे।

भवदीय,

राजिनी उप सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. वि0 सहायक, मा0 राजस्व मंत्री महोदय/नगरीय विकास विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व/वित्त/नगरीय विकास।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व/वित्त(राजस्व)/स्थानीय निकाय।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राज0।
7. उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को भेजकर निवेदन है कि इसकी प्रतियां जयपुर
विकास प्राधिकरण एवं समस्त नगर नुधार न्यास को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर राशी
राज्यकोष में जमा कराने के निर्देश प्रदान करावे।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय को भेजकर लेख है कि इसकी प्रतियां समस्त नगर निगम एवं
नो0सी0एवं डो ग्रेड नगर पंचिकाओं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजकर राशी राज्यकोष में
जमा कराने के निर्देश प्रदान करावे।
9. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

कार्यालय कलेक्टर, अजमेर - जिला अजमेर - 1

क्रमांक:-कअ/राजस्व/06/2947-72

दिनांक:- 28.3.06

प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/1404-12 दि. 17-2-06
एवं पृष्ठानक क्रमांक/904-18 दिनांक 2.2.06 के क्रम में आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर/ ब्यावर/ केकडी/ किशनगढ़/मरावा/नसीराबाद।
2. सचिव, नगर नुधार न्यास, अजमेर।
3. आयुक्त, नगर परिषद, अजमेर/ब्यावर।
4. उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, अजमेर।
5. पृथार।
6. अधिकारी, जिराने, आर0।
7. अधिमाजी अधिकारी, नगरपालिका, पुष्कर/विजयनगर/किशनगढ़/केकडी/मरावाड।
7. तहसीलदार, अजमेर/ब्यावर/केकडी/किशनगढ़/मरावा/नसीराबाद/मरावाड/भिनारा/

पोस्टागन।

(70)

कलेक्टर, अजमेर